



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW (RU-I)

दिनांक: 28.04.2025

श्रीमती शोमिता बिस्वास,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन बल प्रमुख), एम. एस. नागपूर,
तीसरी मंजिल, वन भवन, रामगिरी रोड,
सिविल लाइन्स, नागपूर-440001,
महाराष्ट्र
ई-मेल: pccfhoffngp@mahaforest.gov.in

श्री जितेंद्र डूडी,
जिलाधिकारी, पुणे,
जिलाधिकारी कार्यालय,
स्टेशन रोड,
पुणे- 411001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

विषय: वनभूमि समूह नं.- 145 और 146 आरक्षित वनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर हैं लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर उन्हें स्वामित्व नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में समस्याओं के संबंध में श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य, लोणी खुर्द, ता.-राहाता, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 का अभ्यावेदन।


संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 07.05.2025 को दोपहर पश्चात सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मोहन सखाराम माली,
उपाध्यक्ष,
आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य,
लोणी खुर्द, तहसील- राहाता,
जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।